"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 564 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 नवम्बर 2021 — कार्तिक 20, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2021

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-3-5/2013/1-7. — विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-01-2019 द्वारा जिला बस्तर के थाना दरभा अंतर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में दिनांक 25-05-2013 को घटित नक्सलियों द्वारा कारित हिंसात्मक घटना के संबंध में जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक महत्व के विषय की विशेष जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था. विभागीय अधिसूचना दिनांक 21-01-2019 को जांच हेतु अतिरिक्त बिन्दु को शामिल किया गया था. जांच आयोग के सचिव द्वारा दिनांक 23-09-2021 को अवगत कराया गया कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिये समय वृद्धि किया जावे. न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल दिनांक 30-09-2021 को समाप्त हो चुका है. आयोग के अध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार मिश्रा स्थानांतरित होकर मुख्य न्यायाधीश आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में पदभार ग्रहण कर चुके हैं. अतएव राज्य शासन द्वारा जांच आयोग में दो नवीन सदस्य नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना की बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं को भी शामिल किया गया-

1. क्या घटना के पश्चात् पीड़ितों को समुचित चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध कराया गया था?

2. ऐसी घटनाओं की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये क्या समुचित कदम उठाये गये थे?

3. अन्य बिन्दु माननीय आयोग या राज्य शासन के पारिस्थितिक आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जावेगा.

अत: जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उपरोक्त लोक महत्व के विषय की विशेष जांच हेतु दो सदस्य न्यायिक जांच आयोग में नियुक्त करता है, जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री एवं सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. मिन्हाजुद्धीन, पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय बिलासपुर होंगे. आयोग अपनी जांच इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 06 माह के भीतर जांच पूरी करेगा तथा राज्य शासन को रिपोर्ट सौपेगा. जांच के दौरान तकनीकी विषय/बिन्दुओं पर आयोग किसी संस्था विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रोक्तिमा यादव,** उप-सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.